FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

पृष्ठ संख्या..........................

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सरमथुरा जिला धौलपुर (राज.)

उनवान ....हंसराज वगैरह.... बनाम ....रघुवीरलाल वगैरह....

किस्म मुकदमा ....धारा 88, 188 RTA Act.... प्रकरण संख्या – ....41/2022....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/11/24	पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उप०। बाद बहस वकील वादी द्वारा समय चाहा गया जो दिया गया। वास्ते बहस प्रा०पत्र 7(11) CPC पत्रावली दिनांक 6/2/24 को पेश हो। [हस्ताक्षर] उपखण्डाधिकारी सरमथुरा (धौलपुर) राज.	
6/2/24	पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उप०। बहस प्रा०पत्र 7(11) CPC सुनी गई। वास्ते अवलोकन एवं आदेश पत्रावली दिनांक 20/2/24 को पेश हो। [हस्ताक्षर] उपखण्डाधिकारी सरमथुरा (धौलपुर) राज.	
20/2/2024	पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उप०। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दावा, प्रा०पत्र 7(11) CPC, जवाब प्रा०पत्र को पढ़ा गया। बहस के बिन्दुओं का मनन किया गया। प्रा०पत्र 7(11) CPC के परिप्रेक्ष्य में वादपत्र के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। समस्त अवलोकन व अध्ययन से तथ्य सामने आये कि वादीगण द्वारा वादपत्र के साथ दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पेश राजस्व नकलें वर्ष 2012, 2013, 2018, 2019 एवं 2020 में प्राप्त की गई हैं। इससे स्पष्ट है कि वादीगण को राजस्व अभिलेख में हुई गलतियों की जानकारी दावा दायरी से लगभग 10 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। जबकि वादपत्र में वर्णित वादकारण में दावा दायरी दिनांक 20/9/2022 से 15 दिवस पूर्व वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए विवाद के बाद राजस्व नकलें प्राप्त करने पर राजस्व रिकॉर्ड में हुई गलतियों के संबंध में जानकारी होना अवगत कराया गया है। इस प्रकार प्रार्थनापत्र प्रतिवादीगण अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC में अंकित तथ्य कि- "वादीगण की जानकारी में समस्त तथ्य वर्षों पूर्व आने के बाद भी वादपत्र अवधिपार पेश किया गया है।" सही प्रतीत होता है। इस कारण वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में अंकित वादकारण असत्य एवं मनगढ़ंत होना स्पष्ट होता है। यद्यपि बहस वकील वादी द्वारा दस्तावेज नवम्बर, 2019 में प्राप्त होना एवं उसके बाद वर्ष 2020 व 2021 में कोविड-19 संक्रमण फैलने के कारण न्यायिक कार्य स्थगित होने से न्यायालय में वादपत्र पेश नहीं किया जाना अवगत कराया गया। जबकि कोविड-19 संक्रमण मार्च, 2020 में फैला था। जिसके कारण मार्च, 2020 से अगस्त, 2020 तक वर्ष 2020 में तथा वर्ष 2021 में अप्रैल, 2021 से जुलाई, 2021 तक न्यायिक कार्य स्थगित रहे थे। शेष अवधि में [हस्ताक्षर] निरन्तर----	

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सरमथुरा जिला धौलपुर (राज.)

उनवान हंसराज वगैरह .... बनाम रघुवीर वगैरह

किस्म मुकदमा दावा 88,188 R.T.Act .... प्रकरण संख्या – 41/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	समक्ष न्यायालय कोविड-19 गाइडलाइन अनुसार सुचारु रूप से संचालित किये गये थे। इसके अलावा वर्ष 2022 में भी वादपत्र दिनांक 20/9/2022 को पेश किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा वादपत्र जानबूझ कर विलम्ब से पेश किया गया है और विलम्ब से पेश करने के लिए कोई सुसंगत कारण भी वर्णित नहीं किया गया है। इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अवधिपार पेश किया गया तथा वादपत्र में वर्णित वादकारण असत्य व मनगढ़ंत होने के कारण प्रतिवादीगण के प्रा०पत्र 7(1) CPC में वर्णित तथ्य साबित होते हैं। अतः प्रार्थना-पत्र प्रतिवादी 7(11) CPC स्वीकार किया जाता है और असत्य व मनगढ़ंत वादकारण के साथ पेश दावा वादीगण का इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्डाधिकारी सरमथुरा (धौलपुर) राज.	